Third Northern Region Round Table Consultation at Hotel Crowne Plaza, Jaipur on 6th and 7th May 2017

On Effective Implementation of the Juvenile Justice Act. 2015
Focus on Rehabilitation Services and Linkages with the POCSO Act. 2012

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है।
इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :
lsUVj Qkj pkbYM izksVsD'ku
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान
lEikndh; Vhe %& राजीव शर्मा (IPS), संजय कुमार निराला, श्रद्धा पाण्डे, डॉ विजेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह।

lUnHkZ vkys[k
सेतु
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

जून 2017 अंक: 7

VkHkkj % www.sensebin.com

fun'kd dh dye ls

जिनेवा में 13 जून 2017 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) में भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। बालश्रम पर मुख्य आईएलओ सम्मेलन संख्या 138 और 182 का भारत ने अनुमोदन किया व बालश्रम मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारत ने बालश्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।

सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक कल्याण, रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयासों, बालश्रम उन्मूलन तथा बन्धुआ मजदूरी समाप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों की सरहाना की गयी और कई देशों ने भारतीय प्रयासों को अपनानें में रूचि भी प्रदर्शित की।

आज विश्व में जितने बाल श्रमिक हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारत देश में हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के बाल श्रमिकों का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा भारत में है और एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत के 50 प्रतिशत बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों को देखगें तो पता चलेगा कि भारत में 4353247 बाल मजदूर हैं, बालश्रम की समस्या भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है, जिसका समाधान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयासों से ही सम्भव है। भारत में 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, खतरनाक उद्दयोगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण एवं अन्याय के विरूद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। इतने कड़े कानून होने के बावजूद बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन–रात कार्य कराया जाता है और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर बनने को विवश है। असल में कहा जाए तो बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम गरीबी के कारण करते हैं। गरीबी ही बच्चों को बाल श्रमिक बनने पर मजबूर करती है। इसके अलावा भी बढ़ती जनसंख्या, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वित न हो पाना जैसे कारण बालश्रम के लिए जिम्मेदार हैं।

हमारे देश में कई जगहों पर आर्थिक तंगी के कारण माँ–बाप ही थोड़े पैसों के लिए अपने बच्चों को ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं, जो अपनी सुविधानुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते हैं अधिकांशतः उन्हीं होटलों, कोठियों और कारखानों के मालिक बच्चों को थोड़ा बहुत खाना देकर मनमाना काम कराते हैं, और घण्टों बच्चों की क्षमता के विपरीत या उससे भी अधिक काम कराना, भर पेट खाना न देना और मन के अनुसार कार्य न होने पर पिटाई यही बाल मजदूरों का जीवन बन जाता है। कई बार नियोक्ता बच्चों को पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, काँच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाना, कोयले की खानों में, पत्थर की खानों में सामेन्ट उद्योग, दवा उद्योग आदि सभी खतरनाक काम अपनी मर्जी के अनुसार कराते हैं तथा दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्र एवं गुजरात में कृषि क्षेत्र में (बी.टी. कॉटन) बच्चों का उपयोग किया जाता है।

सेतु के इस बालश्रम मुक्त विशेषांक के माध्यम से सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन की ये कोशिश है कि हम बालश्रम जैसी सामाजिक बुराई के बारे में अधिक से अधिक लोगों के मध्य इसके दुशप्रभावों की जानकारी पहुँचा सके और समाज में व्यापत इस कुरीति को हटाने में साझेदार बनें।

– राजीव शर्मा (IPS)
डॉयरेक्टर, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
विशेषांक : बालश्रम

Hkkjr esa cky Je dk f[kykQ jk"Vªh; dkuwu vkSj uhfr;k¡ &

dkuwu % भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्त की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है–

- 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिको, पुरूषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश न करें। (धारा 39–ई)।
- बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतन्त्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाऐं दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरूपयोग से बचाया जायेगा। (धारा 39–एफ)
- संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। (धारा 45)

cky Je ,d ,slk fo"k; gS ftl ij l?kh; o jkT; ljdkjsa nksuksa dkuwu cuk ldrh gSA nksuksa Lrjksa ij dbZ dkuwu cuk;s Hkh x;s gSA ieq[k jk"Vªh; dkuwuh fodkl esa fuEufyf[kr 'kkfey gS &

- बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून, 1986 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशों और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

- फैक्ट्री कानून, 1948 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजकों को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण–पत्र हो। इस कानून में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घण्टे की कार्यावधी तय की गई है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

भारत में बालश्रम के खिलाफ कार्यवाही में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में माननीय उच्चतम् न्यायालय के उस फैसले में आया जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटानें और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कराने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह आदेश भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाये, जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो।

Hkkjr cky Je ¼fu"ks/k o fu;eu½ lc/kh fuEufyf[kr lf/k;ksa ij gLrk{kj dj pqdk gS &

- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन (संख्या 29)
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन का उन्मूलन (संख्या 105)
- बच्चों के आधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीआरसी)।

cky Je dk;Z ij dkuwu ¼izfr"ks/k vkSj fofu;eu½ vf/kfu;e] 1986 &

गुरूपद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल–मजदूरी (प्रतिबन्ध एवं विनियमन) अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इस कानून के अन्तर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है। उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई। इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास कार्य पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत बताई गई।

cky Je ¼izfr"ks/k vkSj fofu;eu½ la'kks/ku fo/ks;d] 2016 dh eq[; fo'ks"krk,a &

- cky Je dk iwjh rjg ls [kkRek djuk & बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 का मकसद बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस विधेयक में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। यह संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है।

- f'k{kk dk vf/kdkj ls tksMk x;k fo/ks;d & बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 को शिक्षा का अधिकार, 2009 से भी जोड़ा गया है और बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं।
- fo/ks;d ds izko/kkuksa ds mYya?ku ij dM+h ltk & बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रस्ताव किया गया है। पहले के प्रावधानों के मुताबिक 10 हजार से 20 हजार रूपये तक का जुर्माना और तीन महीने से एक साल तक की सजा हो सकती थी लेकिन इस संशोधन विधेयक में सजा को और सख्त करते हुए 20 हजार से 50 हजार रूपये तक जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है।
- dBksj fdruh ltk & इसके साथ ही पहली बार अपराध होने पर छः महीने से 2 साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी बार अपराध के मामले में एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रस्ताव है।
- cPpksa ds dY;k.k ,oa muds dkS'ky fodkl ij tksj & बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 में बच्चों के कल्याण और उनके कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है तथा राज्य सरकारों को भी इससे जोड़ा गया है।
- iquokZl dks"k dk izko/kku & इसमें कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान किया है। इसके उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही बच्चों के लिए पुर्नवास कोष का प्रावधान किया गया है।
- dfBu dk;ksZa esa Je fu"ks/k & कठिन कार्यों में श्रम निषेध किया गया है।

dfBu dk;Z fuEu gSa &

Hkkx & d

- एसबेस्टोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण।
- वानस्पतिक एवं पशु स्त्रोतों में तेल और वसा की निकासी।
- बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग।
- कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।
- डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम।
- अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें।
- परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची –1 के भाग 2 में यथा विनिर्दिष्ट जोखिम रसायनों की प्रहस्तन और प्रक्रमण में निहित प्रक्रिया।
- बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य।
- रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाऐं।
- पोत विभंजन।
- नमक खनन या नमक बनाने का कार्य।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1988 की अनुसूची – 9 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाऐं।

Hkkx & [k

अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहाँ परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त) व्यवसाय (गैर औद्योगिक कार्यकलाप)

fuEufyf[kr ls lacaf/kr dksbZ O;olk;

- रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर – उधर ले जाना।
- रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयले बीनना अथवा राख के गड्ढ़े को साफ करना।
- रेलवे स्टेशनों पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इनमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना – जाना अथवा चलती रेलगाड़ी में चढ़ना उतरना पड़ता है।

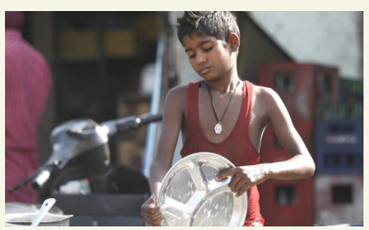

- रेलवे स्टेशन के निर्माण से सम्बन्धित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाईन के निकट या उनके बीच किया जाना हो।
- अस्थाई लाईसेंस प्राप्त दुकानों में पटाखों

और आतिशबाजी का सामान बेचने से सम्बन्धित कार्य।

- ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज।

- हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग।
- प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाईबर ग्लास वर्कशॉप।
- घरेलू कामगार अथवा नौकर।
- ढ़ाबे (सड़क किनारे की खाने–पीने की दुकानें), रेस्टोरेन्ट, होटल, मोटल, रिसोर्ट।
- गोताखोरी।
- सर्कस में कार्य
- हाथियों की देखभाल
- विद्युतचलित बेकरी मशीन अथवा
- जूता निर्माण

ifØ;k,i½vk|kfxd dk;dyki½

- बीड़ी/सिगरेट बनाना।

- कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।
- सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक।
- कपड़ा रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी शुरूआती प्रक्रिया शामिल है।
- अभ्रक काटना और उसका विखण्डन करना।
- लाख निर्माण।
- साबुन बनाना।
- ऊन की सफाई।
- भवन और निर्माण उद्योग जिनमें ग्रेनाइट पत्थर का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना, ढुलाई एवं संग्रहण, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है।
- स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैंसिल सहित)

- सीसा, मैग्नीज, पारा, क्रोमियम, बैनजीन, कीटनाशक और एस्बेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के विनिर्माण में होने वाले विनिर्माण प्रक्रियाएें।
- काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया।
- इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने की प्रक्रियाऐं।
- अगरबत्ती का निर्माण।
- ओटोमोबाईल मरम्मत और रख–रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।
- वेल्डिंग इकाइयाँ जिसमें डेंटिंग पेंटिंग शामिल है।
- ईंटो की खपरैलों का निर्माण।
- डिटरजेंट का निर्माण

- फैब्रिकेशन वर्कशॉप (फैरस और नान –फैरस)
- रत्न तराशना और उसकी पॉलिश करना।
- क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्कों का रख – रखाव।
- जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉपर निर्माण।
- चूना भट्टा और चूना निर्माण।
- ताला बनाना।
- ऐसा कोई विनिर्माण प्रक्रियाऐं जिसमें सीसा का उत्पादन होता है, जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, बेल्डिंग और कटाई करना, गेल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पॉलीविनाईल क्लोराईड की बेल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दहन, खान से निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा को फूलाना।

- सीमेन्ट पाईप, सीमेन्ट उत्पाद और सीमेन्ट की अन्य वस्तुऐं बनाना।
- काँच, काँच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूडियाँ, टूयूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य काँच उत्पाद शामिल है।
- रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण।
- कीटनाशकों का निर्माण और उसका रख–रखाव।
- इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा लगाना शामिल है।
- जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण।

- खेल–कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री रसायन और चमड़े का उत्पादन शामिल है।
- तेल की पिराई और परिष्करण।
- कागज बनाना।
- चीनी मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक उद्योग।
- पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पॉलिश एवं वैल्डिंग शामिल है।
- ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गुड़ाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।
- आरा मिल की सभी प्रक्रियाएं।
- रेशम उद्योग।
- चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं।
- तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है।
- टायर निर्माण, मरम्मत, री–ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण।
- बर्तन बनाना, पॉलिश करना और धातु

को बफिंग करना।

- 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं)
- ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रियाएं।
- धातुओं की घिसाई या उन पर काँच चढ़ाना।
- हीरों की कटाई और पॉलिश।
- कचरा उठाना एवं कबाड़ एकत्रित करना।
- मशीनीकृत मछली पालन।
- खाद्य प्रसंस्करण।
- पेय पदार्थ उद्योग।
- मसाला उद्योग के अन्तर्गत मसाले की

खेती, छंटनी, सुखाना तथा पैकिंग का कार्य।

- लकड़ी की यांत्रिक कटाई।
- लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई।
- भण्डारागार कार्यकलाप।
- मसाज पार्लर, जिम्नेजियम अथवा अन्य मनोरंजक केन्द्र।
- खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों में सम्बन्धित प्रचलनों में –

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट।

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तेलक विधि से जुड़ा कार्य।

(ग) घूमने वाली मशीनें।

(घ) विद्युत प्रक्रिया।

(ङ) मैटल ट्रेड से जुड़े मशीन टूल्स।

(च) गिलोटिन मशीनें।

ifjlidVe; O;olk; rFkk izfØ;k,a ftlesa dkekjka dk dke djuk rFkk ckydka dh enn djuk fu"ks) g

1. खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इससे सम्बन्धित कार्य–

(क) पत्थर की खानें

(ख) ईंटों की भट्ठियाँ

(ग) इसकी तैयारियों तथा प्रासांगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूरा या स्लेट या सिलिका या भूमि से उपार्जित कोई टनय तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई विपाटन अथवा पॉलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल हैं, अथवा

(घ) खुले गड्ढे की खानें।

2. ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे –

(क) पटाखे

(ख) विस्फोटक अधिनियम 1984 (1984 का, 4) के अन्तर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना व उतारना आदि।

(ग) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पॉलिश वेल्डिंग, सांचे में डालना, इलैक्ट्रो प्लेटिंगसे संबंधित कार्य तथा अन्य प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों अथवा

(घ) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उसके उप–उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।

3. कारखाना अधिनियम, 1984 (1984 का 63) की प्रथम अनुसूची में ''यथा विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाऐं'' और उल्लिखित –

उद्योगों की सूची जिनमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं उल्लिखित हैं –

(क) लौह एवं धातुकर्म उद्योग

- समकालित लोहा और इस्पात
- लौह मिश्र धातु
- विशेष इस्पात

(ख) अलौह धातुकर्म उद्योग– प्राथमिक धातुकर्म उद्योग अर्थात जस्ता, सीसा, तांबा, मैग्नीज और एल्युमिनियम।

(ग) ढलाई (लौह और अलौह) कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॅट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदुरा बनान।

(घ) कोयला (कोक) उद्योग –

- कोयला लिग्नाईट कोक व इसी प्रकार के अन्य पदार्थ।
- ईंधन गैसेस (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित)

(ङ) विद्युत उत्पादन उद्योग

(च) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(छ) उर्वरक उद्योग

- नाईट्रोजनयुक्त
- फॉस्फेटिक
- मिश्रित

cky etnjh ls gksus okys jksx &

बीड़ी उद्योग	टी.बी, श्वास नली
हस्तकरघा उद्योग	दमा, टी.बी, श्वासनली, रीढ़ की हड्डी की बीमारी
जरी एवं कढ़ाई	आंखों में त्रुटि एवं खराबी
रूम एवं हीरा कटिंग	आंखों में त्रुटि एवं खराबी
कागज के टुकडों को बटोरना	सिलिकोसिस, सर्दी एवं खांसी
कुम्हार एवं मिट्टी के बर्तन	दमा, टी.बी, श्वासनली, सिलिकोसिस, सर्दी एवं खांसी
पत्थर एवं स्लेट खनन	सिलिकोसिस
कृषि उद्योग	चर्म–रोग, कीटनाशक दवाइयों एवं मशीनों का दुष्प्रभाव, अत्यधिक उत्तेजना एवं ऐंठन
ईंट भट्टी	सिलिकोसिस, ऐंठन
पीतल उद्योग	अंग विहीनता, तपेदिक, जलन, उल्टी, श्वसनीय अनियमितता।
बैलून उद्योग	निमोनिया सांस न ले सकना, दिल का दौरा
माचिस उद्योग	आग से दुर्घटना, तुरन्त मृत्यु
सीसा व पावरफुल उद्योग	दमा, टी.बी, श्वासनली, सिलिकोसिस, सर्दी एवं खांसी

106ok vUrjk"Vh; Je lEesyu 2017 &

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 106 वां सत्र 5 से 16 जून 2017 को जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में आयोजित किया गया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री बंदक दत्तात्रेय के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने आईएलसी में भाग लिया।

देश से बाल श्रम के उन्मूलन की ओर एक एतिहासिक कदम में भारत ने बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और पहल का प्रतीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कंवैशन संख्या 138 (रोजगार के लिए न्यूनतम आयु) और कन्वेंशन नं. 182 (बालश्रम का सबसे खराब प्रकार) की पुष्टि की है।

D;k g vkbZ ,y vk\

आईएलओ सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, जिनकी पुष्टि के लिए सदस्य देश स्वतन्त्र होते हैं। आईएलओ सम्मेलन का अनुसमर्थन करना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। एक बार अनुसमर्थन करने पर आईएलओ सम्मेलन के संकल्पों को सदस्यों के लिए मानना कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो जाता है। आईएलओ की सिफारिशों का अनुसमर्थन नहीं होता है, लेकिन वे नीति, कानून और प्रक्रियाओं को बनाने और लागू करने में विभिन्न देशों की सरकारों के लिए दिशा – निर्देशक के तौर पर काम करती है। मसौदा एक साधन है जो आंशिक तौर पर परम्पराओं में बदलाव करता है।

cky lij{k.k dk {k= ea vf/kd tkudkjh grq J4C App dk Install djs ldrs g&

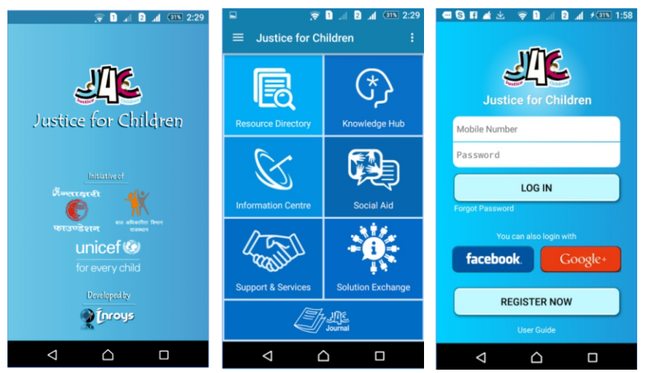

How to install J4C App

- To install the J4C App in your phone you need to have 5-6 MB of free space. To install follow the below given steps:
- On your Android based Phone, open Google Play Store.
- Tap the Search icon.
- Type J4C in the search field.
- Select and click on the J4C in the search results to go to the App page.
- Follow the standard installation procedure.